शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 17 – 24 अगस्त 2026 मूल्य पांच रूपये

# अंदरूनी नाराजगी बन सकती है हिमाचल में कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर शुरू हुई अंदरूनी नाराजगी अब सार्वजनिक ब्यानबाजी और एक – दूसरे पर राजनीतिक हमलों के दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयानों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को एक बार फिर सामने ला दिया है। स्थिति यह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब सार्वजनिक मंचों से संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, बाहरी लोगों को महत्व देने और पार्टी के भीतर ही विरोधी ताकतों के सक्रिय होने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

इस विवाद की सबसे तीखी शुरुआत राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान से हुई। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेगी ने पार्टी के भीतर बैठे लोगों पर ही निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर ऐसे लोगों को संगठन में पद दिए जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने 'जयचंद' और भाजपा के 'स्लीपर सेल' तक बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक पार्टी अपने भीतर के दुश्मन को खत्म नहीं करेगी, तब तक भाजपा और आरएसएस से प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।

नेगी का यह बयान सामान्य राजनीतिक आलोचना से आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सवाल सीधे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और नियुक्तियों पर उठाया है। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि सरकार और संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर उन नियुक्तियों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, जिनमें पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जगह अपेक्षाकृत नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

इसी बीच 15 अगस्त को केहर सिंह खाची की ओर से दिए गए बयान ने विवाद को और हवा दी। खाची ने पार्टी और संगठन में अपनी भूमिका तथा मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर जिस अंदाज में बात रखी, उसे पार्टी के भीतर कुछ नेताओं ने पसंद नहीं किया। उनके बयान के बाद संगठन में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा चल पडी कि जिन लोगों की सक्रिय राजनीतिक पहचान चुनावों से पहले बहुत सीमित थी, वे आज पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कैसे पहुंच गए।

खाची के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्हें अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया जाना भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बनाता है। किसी पदाधिकारी को सार्वजनिक बयान के लिए जवाब देना पड़े, यह संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व अब खुले तौर पर होने वाली बयानबाजी को लेकर असहज है। इससे यह सवाल भी उठता है कि पार्टी में नेताओं और पदाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की सीमा आखिर तय कौन कर रहा है।

विवाद के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सक्रियता ने भी राजनीतिक चर्चा को तेज किया। उन्होंने खाची से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसी दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणी की। इससे कांग्रेस और भाजपा के बीच चलने वाली बयानबाजी के साथ – साथ कांग्रेस के भीतर की राजनीति भी चर्चा में आ गई। इससे पहले कंगना रनौत द्वारा युवाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भी विक्रमादित्य सिंह ने तीखा पलटवार किया था और सवाल उठाया था कि युवाओं को देश का भविष्य माना जाए या उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाए। लेकिन कंगना रनौत पर बाबा रामदेव द्वारा दिये गये ब्यान पर उन्होने कंगना रानौत का पक्ष लेते हुये कहा कि वह अपने शब्द वापिस ले और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

दूसरी ओर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान इस पूरे विवाद को पार्टी के भीतर के पुराने असंतोष से जोड़ता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों में सरकार और संगठन के बीच विचार – विमर्श होना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों को पद दिए जाने पर भी सवाल उठाया, जिनका पार्टी को मजबूत करने या चुनाव जिताने में अपेक्षित योगदान नहीं रहा है।

यही बिंदु इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। कांग्रेस में एक तरफ वे नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को महत्व देने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ संगठन में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया चल रही है। समस्या नए चेहरों को जिम्मेदारी देने से नहीं, बल्कि पुराने नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता और योगदान की अनदेखी के आरोपों से पैदा हो रही है।

जगत सिंह नेगी का 'जयचंद' और 'भाजपा के स्लीपर सेल' वाला हमला, खाची का विवादित बयान, उसके बाद नोटिस, प्रतिभा सिंह की नाराजगी ये घटनाएं अलग – अलग दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनके बीच एक साझा राजनीतिक धागा नजर आता है। वह है संगठन में अधिकार, नियुक्तियों में हिस्सेदारी और पुराने बनाम नए नेताओं की लड़ाई।

कांग्रेस के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पार्टी सत्ता में है और उसे अगले चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। यदि वरिष्ठ नेता ही सार्वजनिक मंचों पर संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठाने लगें और पार्टी के भीतर 'जयचंद' तथा 'भाजपा एजेंट' जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगें, तो इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा।

फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस अंदरूनी असंतोष को सार्वजनिक विवाद बनने से रोकने की है। यदि समय रहते वरिष्ठ नेताओं, सरकार और संगठन के बीच संवाद स्थापित नहीं हुआ तो आज की बयानबाजी आने वाले समय में बड़े राजनीतिक गुटों की लड़ाई में बदल सकती है। हिमाचल कांग्रेस के लिए असली सवाल अब यह नहीं है कि किस नेता ने किस पर हमला किया, बल्कि यह है कि क्या पार्टी अपने भीतर बढ़ रही नाराजगी को चुनावी चुनौती बनने से पहले नियंत्रित कर पाएगी?

# राष्ट्रगान के अपमान पर झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री:जयराम

**शिमला/शैल।** नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस मामले में झूठ बोल रहे हैं और उन्हें सदन तथा प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

प्रश्नकाल के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष से 21 अगस्त को सदन की कार्यवाही की शुरुआत में गाये गये राष्ट्रगान का वीडियो जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने से स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के किसी विधायक ने राष्ट्रगान का अनादर किया या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर वीडियो क्लिप मांगी है, लेकिन अभी तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपने आरोपों को लेकर सही हैं तो वीडियो जारी करने से क्यों बच रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वीडियो उपलब्ध नहीं होने पर भाजपा विधायक दल राज्यपाल के समक्ष मामला उठाने के साथ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष सदन चलाने की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष वाकआउट कर बाहर चला गया।

इससे पहले भाजपा विधायक दल ने पंचायती राज संस्थाओं के कथित राजनीतिक शोषण के विरोध में विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

# हिमाचल में 300 करोड़ के आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश

के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए करीब 300 करोड़ रुपये के आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष के अंत तक ऑटोमेटेड लैब शुरू की जाएंगी। इससे जांच की सुविधा तेज होगी और मरीजों को रिपोर्ट के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा।

नेरचौक और टांडा मेडिकल कॉलेज में 50 करोड़ रुपये की लागत से PET स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक लैब ऑटोमेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा।

इसके अलावा चमियाना में उच्च क्षमता वाली इकोकार्डियोग्राफी मशीन, चंबा मेडिकल कॉलेज में डिजिटल एक्स-रे और मैमोग्राफी मशीनें तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट स्थापित की जाएगी।

आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी, 4के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और अन्य आधुनिक उपकरणों पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाइयों और सर्जिकल सामान की खरीद भी की जाएगी। दूसरे चरण में करीब 83 करोड़ रुपये के अतिरिक्त चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें सीटी स्कैन, 4डी कलर डॉप्लर, डिजिटल एक्स-रे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एफेरेसिस यूनिट सहित कई सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक उपकरणों से सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधा बेहतर होगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम होगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी खरीद प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी करने और अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए।

# जुब्बल – कोटखाई में सेब सीजन से पहले सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सड़क

और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सेब सीजन को देखते हुए निर्माणाधीन सड़कों का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी न हो।

उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने और पूरी हो चुकी सड़कों को तुरंत यातायात के लिए खोलने को कहा। सेब से लदे वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

रोहित ठाकुर ने बताया कि छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर- कुमारसैन सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली है। यह राशि सीआरआईएफ 2026-27 के तहत स्वीकृत की गई है। इससे क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बागवानों को फायदा मिलेगा।

बैठक में पीएमजीएसवाई, नाबार्ड और विश्व बैंक की मदद से चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने पहले से शिलान्यास किए गए भवनों और अन्य विकास कार्यों को छह महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में करीब 550 करोड़ रुपये के विकास कार्य हो चुके हैं। इनमें 30 भवन और 182 सड़कें जनता को समर्पित की जा चुकी हैं।

आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा कोटखाई ट्रॉमा सेंटर और सावर इंडोर स्टेडियम की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।

# घुमारवीं में बनेगा ग्रीन मार्केट, किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिलासपुर के घुमारवीं में ग्रीन मार्केट बनाने का निर्णय लिया गया।

बोर्ड ने किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम और समय पर भुगतान दिलाने के लिए ई-नाम व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया। इसके तहत दूसरे राज्यों के व्यापारिक लाइसेंस को मान्यता देने और डिजिटल लाइसेंस समय पर जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज दूसरे राज्यों में बेचने में आसानी होगी।

जिन कृषि मंडियों में कारोबार कम है, उन्हें अलग-अलग प्रकार के व्यापार के लिए अधिकृत करने का निर्णय भी लिया गया। कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए नियमों का अध्ययन करने को समिति बनाने को मंजूरी दी गई।

बैठक में बोर्ड और प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न पद भरने का फैसला लिया गया। इनमें 13 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) सहित अन्य पद शामिल हैं।

कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में आवास बनाने का भी निर्णय लिया गया। मंडियों की सफाई और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा।

बैठक में प्रदेश की विभिन्न मंडियों में निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी भी दी गई।

# देशभर से 278 विद्यार्थियों ने IIIT ऊना में शुरू की नई शैक्षणिक यात्रा

**शिमला/शैल।** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) ऊना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक की 294 सीटों में से 278 पर प्रवेश हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक में 23 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। संस्थान ने इस साल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें अभी तक छह विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

नए विद्यार्थियों के लिए पांच दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद चार दिन का ब्रिज कोर्स होगा। इसमें विद्यार्थियों को संस्थान की पढ़ाई, परीक्षा, शोध, प्लेसमेंट, छात्रवृत्ति, खेल और छात्र क्लबों की जानकारी दी जा रही है।

IIIT ऊना के निदेशक ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासा, प्रयोग और नवाचार को अपनाने तथा तकनीक का निर्माण करने पर जोर दिया।

ओरिएंटेशन कार्यक्रम में विशेषज्ञों के व्याख्यान के साथ कैंपस टूर, क्विज, एआर गतिविधियां, टैलेंट कार्यक्रम और उत्पाद-पिचिंग जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को एंटी-रैगिंग, एंटी-नारकोटिक्स, स्वास्थ्य, खेल, फिटनेस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यह समय विद्यार्थियों के लिये तकनीकी शिक्षा के साथ आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा बेहतर व्यक्तित्व बनाने का अवसर है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# महिला उद्यमिता के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर : राज्यपाल

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वित्त, तकनीक, कौशल, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ी सुविधाएं

उपलब्ध कराने वाला मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति हैं।

राज्यपाल ने चंडीगढ़ में आयोजित 'देसी क्रेविंग्स हरियाणा महिला खाद्य उद्यमी विशेष' कार्यक्रम का दौरा किया। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा की 50 चयनित महिला खाद्य उद्यमियों ने अपने उत्पाद और उद्यमशीलता की यात्रा प्रदर्शित की।

महिला उद्यमियों से संवाद करते हुए गुप्ता ने उनके प्रयासों और रचनात्मकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन महिला उद्यमियों को खरीदारों, मार्गदर्शकों और उद्योग जगत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएमईजीपी, डीएवाय-एनआरएलएम, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से महिलाओं को ऋण, कौशल, बाजार और संस्थागत सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक 3.46 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को लखपति दीदी बनने में सक्षम बनाया गया है, जबकि मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों में लगभग दो-तिहाई महिला उद्यमियों को मिले हैं।

गुप्ता ने युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आहवान किया। उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए सरकारी संस्थानों, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और मार्गदर्शकों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

# राज्यपाल ने जनगणना-2027 के लिए स्व-गणना प्रक्रिया पूरी की

**शिमला/शैल।** राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लोक भवन में

जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत अपनी स्व-गणना प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान जनगणना संचालन निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने उन्हें जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी दी।

राज्यपाल ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विकास योजनाएं और कल्याणकारी नीतियां तैयार करती है।

उन्होंने हिमाचल के लोगों से 1 से 30 सितंबर 2026 तक बर्फीले क्षेत्रों में होने वाली जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि बर्फीले क्षेत्रों के लोगों के लिए 17 से 31 अगस्त तक डिजिटल स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है।

राज्यपाल ने लोगों से 31 अगस्त तक अपने और परिवार से जुड़ी सही जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचे तो उन्हें सही जानकारी देकर सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 को सफल बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

# विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से भेंट की

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह

पठानिया ने लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।

विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान आयोजित होने वाली बैठकों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।

राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में विधानसभा के प्रभावी संचालन तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

# नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दें होटल और पर्यटन कारोबारी: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने होटल और पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का आहवान किया। वह वाराणसी में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पर्यटक केवल प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति, गांवों की जीवनशैली, वेलनेस और नए अनुभवों को भी पसंद कर रहे हैं। हिमाचल में इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार अनुभव आधारित, ग्रामीण, कारवां और वीकेंड पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए 'शी ट्रैवल' नीति तैयार की जा रही है। होमस्टे, स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के जरिए महिलाओं को रोजगार के अवसर देने पर भी जोर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके आसपास एयरोसिटी विकसित करने की योजना है। कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय के आसपास हेलीपोर्ट बनाने की योजना भी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में ट्रेकिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और माउंटेन साइक्लिंग जैसे साहसिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2025 में हिमाचल में 3.11 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 1.66 करोड़ धार्मिक पर्यटक थे। वर्ष 2026 में जुलाई तक 1.06 करोड़ पर्यटक प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से सरकार के साथ मिलकर हिमाचल को सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने का आग्रह किया।

# दयोरी स्कूल के नए भवन में शुरू हुई कक्षाएं

**शिमला/शैल।** जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दयोरी के नवनिर्मित भवन में कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी।

स्कूल का पुराना भवन 14 अगस्त 2023 की भारी बारिश में पूरी तरह बह गया था। नए प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण करीब 70 लाख रुपये और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण 3.62 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल के पुनर्निर्माण में स्थानीय लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने चिंता देवी, दासी देवी और पुन्नी देवी का आभार जताया, जिन्होंने स्कूल के लिए एक बीघा से अधिक जमीन दान की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का आधुनिक तरीके से पुनर्निर्माण कर रही है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों के कारण हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2021 के 21वें स्थान से अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री ने स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी खराब मौसम के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने वर्ष 2023 की आपदा के दौरान दयोरी की स्थिति को देखा था। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि वह सितंबर में स्कूल आकर बच्चों से मिलेंगी।

उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान के मूल्यों, समानता, एकता और भाईचारे को समझने तथा अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का आहवान किया।

# वन संसाधनों से 22,600 करोड़ रूपये की कमाई की संभावना, वन विभाग और आंईएसबी में समझौता

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश के वन और चरागाह आधारित संसाधनों की आर्थिक क्षमता का उपयोग करने के लिए वन विभाग और इंडियन स्कूल

ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के भारती इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बीच पांच साल का समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सर्वेक्षण में प्रदेश के पांच प्रमुख वन संसाधनों में 22,600 करोड़ रुपये की संभावित आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इसमें आंवला की क्षमता 8,700 करोड़, चीड़ की पत्तियों की 5,500 करोड़, जंगली आम की 4,800 करोड़, साल के बीज की 2,400 करोड़ और बुरांश के फूलों की 1,200 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सर्वेक्षण के दौरान 500 से अधिक वन रक्षकों ने दो लाख से ज्यादा पेड़ों का आंकड़ा जुटाया। इन आंकड़ों को सैटेलाइट तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से वन संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण लोगों को रोजगार तथा आय के नए अवसर मिलेंगे। हरड़, बेल और थांगी जैसी स्थानीय प्रजातियों की आर्थिक संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

समझौते के तहत महिला उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देने, वन उत्पादों को बाजार से जोड़ने, वन संसाधनों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर काम होगा। पहले यह व्यवस्था पालमपुर में लागू की जाएगी और बाद में पूरे प्रदेश तक बढ़ाई जाएगी।

# जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी वाहिनी छात्रवृत्ति:शिक्षा मंत्री

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही वाहिनी छात्रवृत्ति योजना

का प्रदेशभर में प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र विद्यार्थी इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए।

वाहिनी स्कॉलरशिप ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर योजना की जानकारी दी। ट्रस्ट हर साल 80 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहा है और हर वर्ष 10 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब तक 348 विद्यार्थी योजना का लाभ ले चुके हैं।

योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। विद्यार्थी ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और वह वर्तमान में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हो।

चयनित विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस और पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाता है। इसके अलावा लैपटॉप, वाई-फाई, किताबें, छात्रावास और साल में एक बार घर आने-जाने का खर्च भी दिया जाता है। विद्यार्थियों को मेंटरशिप, करियर काउंसलिंग और कौशल विकास की सुविधा भी मिलती है।

इस छात्रवृत्ति से विद्यार्थी एमबीबीएस, एलएलबी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित अन्य व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के पात्र विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी मिल सके।

# मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना – 2027 में अपने सक्रिय सहयोग की अपील की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू तथा उनकी धर्मपत्नी और विधायक

कमलेश ठाकुर ने जनगणना-2027 के दूसरे चरण में ओकओवर, शिमला में अपनी स्व-गणना का कार्य पूर्ण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों के निवासियों से जनगणना-2027 के दूसरे चरण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और वास्तविक आवश्यकताओं के सही आकलन के लिए नागरिक 17 से 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध स्व-गणना सुविधा का लाभ उठाएं तथा अपनी सही जानकारी दर्ज करें। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि 1 से 30 सितम्बर, 2026 तक घर-घर आने वाले प्रगणकों को सही विवरण उपलब्ध करवाकर इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सफल बनाएं।

इस अवसर पर निदेशक जनगणना

# खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बिक्री 39 प्रतिशत बढ़ी

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष

2025-26 में 54.84 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है। यह वर्ष 2024-25 की 39.19 करोड़ रुपये की बिक्री से 39 प्रतिशत अधिक है। इससे बोर्ड को करीब 4.50 करोड़ रुपये की आय हुई।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 248वीं बैठक में यह जानकारी दी गई। मंत्री ने बोर्ड की बिक्री में बढ़ोतरी की सराहना की और अधिकारियों को कामकाज में सुधार के निर्देश दिए।

बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों का जरूरत के अनुसार युक्तिकरण करने का फैसला लिया गया, ताकि उपलब्ध कर्मचारियों का बेहतर उपयोग हो सके।

बोर्ड की खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग बढ़ाने के लिए कांगड़ा के खाली भवनों और बिक्री केंद्रों तथा उदयपुर, होली और पूह के ऊन कार्डिंग केंद्रों को किराये पर देने की मंजूरी दी गई। इससे बोर्ड को अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है।

वर्ष 2026-27 में बोर्ड ने 112 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य रखा है। जुलाई 2026 तक 19.71 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

# पेंशनभोगी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर सकते हैं जीवन प्रमाण-पत्र

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशनभोगी 30 सितम्बर, 2026 तक जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशनभोगी अथवा पारिवारिक पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र केवल जीवन प्रमाण एप्लिकेशन के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पेंशनभोगी, जो बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने मे असमर्थ हैं, वे संबंधित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र पूर्ववत प्रस्तुत करते रहेंगे।

पेंशनभोगी कॉमन सर्विस सेंटर लोक मित्र केन्द्र, जहां बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध हों, पर भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे जीवन प्रमाण पोर्टल का उपयोग करके अथवा अपने मोबाइल उपकरण पर जीवन प्रमाण एप्लिकेशन के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) को जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के सत्यापन एवं निर्गमन हेतु एक अधिकृत अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया है। पेंशनभोगी यह सत्यापन सेवा राज्यभर में स्थित आईपीपीबी की शाखाओं, डाकघरों तथा डोरस्टेप (घर-द्वार) सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

आधार आधारित प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया गया डिजिटल प्रमाण पत्र वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जीवन प्रमाण के माध्यम से किया गया बायोमेट्रिक सत्यापन एक वर्ष तक वैध रहेगा।

जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, वे यह नहीं जानते कि धर्म क्या है।
.....महात्मा गांधी

## सम्पादकीय

# जब राजनीति आस्था का रूप लेने लगे

भारत की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां विचारधारा, धर्म, इतिहास और व्यक्ति के बीच की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। राजनीतिक नेताओं के प्रति सम्मान लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब सम्मान धीरे-धीरे भक्ति और भक्ति देवत्व में बदलने लगे तो सवाल केवल राजनीति का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति का हो जाता है। हाल के दिनों में सामने आए दो अलग-अलग प्रसंग इस बदलते राजनीतिक वातावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक ओर नाथूराम गोडसे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों को लेकर अदालत में दिए गए बयान और पूर्व आरएसएस प्रचारक यशवंत शिंदे के हलफनामे ने पुराने सवालों को फिर सामने ला दिया है। दूसरी ओर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताकर उनके मंदिर के निर्माण की घोषणा और 'मोदी चालीसा' जैसे आयोजन ने व्यक्ति-पूजा की राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है।

पूर्व आरएसएस प्रचारक यशवंत शिंदे ने अपने हलफनामे में संघ और उससे जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इन आरोपों की सत्यता न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों से तय होगी है। इसी तरह सावरकर परिवार से जुड़े सत्यकी सावरकर ने अदालत में बयान देते हुए नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे को आरएसएस का सक्रिय सदस्य बताया। यह बयान भी न्यायालय में चल रही कार्यवाही का हिस्सा है, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं। इसलिए इन दोनों प्रसंगों को राजनीतिक प्रचार के बजाय तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर देखना चाहिए।

लेकिन इन बयानों को केवल इसलिए नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि वे किसी संगठन या विचारधारा के लिए असुविधाजनक हैं। गोडसे के वैचारिक और संगठनात्मक संबंधों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। यदि अदालत में किसी व्यक्ति ने किसी संगठन से संबंध होने की बात कही है तो उसका परीक्षण दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

इसी बीच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताकर मंदिर बनाने की घोषणा ने वर्तमान राजनीति की एक दूसरी तस्वीर सामने रखी है। प्रधानमंत्री के समर्थक उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनके नाम पर राजनीतिक अभियान चलाएं या उन्हें देश के लिए महत्वपूर्ण नेता मानें, यह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को भगवान घोषित करना और उनके मंदिर निर्माण की घोषणा करना लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्ति-पूजा की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लोकतंत्र में किसी राजनीतिक नेता को इस स्तर तक देवत्व प्रदान किया जाना उचित है?

आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीति में व्यक्ति धीरे-धीरे संस्था से बड़ा होता जा रहा है। पार्टी से बड़ा चेहरा, विचारधारा से बड़ी व्यक्तिगत निष्ठा और नीति से बड़ी छवि दिखाई देने लगी है। जब राजनीतिक समर्थन धार्मिक भक्ति का रूप लेने लगे तो आलोचना के लिए जगह सिकुड़ती है। फिर नेता के फैसले पर सवाल उठाना राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि व्यक्ति-विरोध या धर्म-विरोध के रूप में पेश किया जाने लगता है। लोकतंत्र के लिए इससे अधिक खतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है?

भारत को आज इतिहास से ईमानदार संवाद की जरूरत है। गोडसे और संघ के संबंधों पर सवाल हैं तो उनका जवाब प्रमाणों से मिलना चाहिए। यशवंत शिंदे के आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मोदी मंदिर का प्रस्ताव है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत पहल है या किसी संस्था का निर्णय उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए।

लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि यहां प्रधानमंत्री भगवान नहीं होता, बल्कि जनता का प्रतिनिधि होता है। वह शक्तिशाली हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है, ऐतिहासिक फैसले ले सकता है, लेकिन वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इसी तरह कोई संगठन कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके इतिहास और भूमिका पर सवाल पूछने का अधिकार नागरिकों को रहना चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत यह है कि जनता अपने सबसे लोकप्रिय नेता से भी सवाल पूछ सके। यही अधिकार बचा रहा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, वरना राजनीति धीरे-धीरे आस्था में और नागरिक धीरे-धीरे भक्त में बदलता चला जाएगा।

# अफगान महिलाओं की कैद होती आजादी, चिंता से आगे बढ़कर कारवाई की जरूरत

गौतम चौधरी

अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता एक बार फिर गहरा गई है। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर ''हिजाब संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कम से कम 30 महिलाओं को हिरासत में लिए जाने'' की खबर ने इस बहस को फिर-से तेज कर दिया है कि अफगान महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय आखिर कितना प्रभावी हस्तक्षेप कर पा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) की रिपोर्ट में सामने आई इस घटना के अनुसार, हेरात के इंजिल जिले में तालिबान अधिकारियों ने महिलाओं के पहनावे से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए सुरक्षा अभियान चलाया। इसी दौरान कई महिलाओं को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। हालांकि स्थानीय तालिबान अधिकारियों ने इन गिरफ्तारियों की खबरों से इनकार किया है। इसलिए इन आरोपों को फिलहाल ''रिपोर्टो में सामने आए दावे'' के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इस घटना के बाद हुए कथित विरोध-प्रदर्शन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। रिपोर्टो के मुताबिक प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। तालिबान सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने और लाठीचार्ज किए जाने के आरोप भी लगे हैं। इन घटनाओं में कम से कम दो लोगों के मारे जाने और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। यदि ये आरोप स्वतंत्र जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह केवल महिलाओं के पहनावे पर नियंत्रण का मामला नहीं, बल्कि ''शांतिपूर्ण विरोध और नागरिक अधिकारों के दमन'' का भी गंभीर प्रश्न होगा।

यहां एक मूलभूत प्रश्न उठता है-किसी महिला का पहनावा उसकी व्यक्तिगत आस्था और पसंद का विषय होना चाहिए या राज्य की ओर से दंडनीय नियम के रूप में थोपा जा सकता है?

हिजाब पहनना किसी महिला की धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत पसंद हो सकता है लेकिन उसी तरह किसी महिला को किसी विशेष तरीके से कपड़े पहनने के लिए बाध्य करना भी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। इसलिए महिला अधिकारों की बहस का मूल प्रश्न ''हिजाब के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं'', बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि महिला को अपने शरीर और पहनावे के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले।

यही सिद्धांत लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आधारित व्यवस्था का आधार है-''न तो हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाए और न हिजाब उतारने के लिए।'' अफगानिस्तान में समस्या इससे कहीं व्यापक है।

2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के सार्वजनिक जीवन पर लगातार कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। शिक्षा, रोजगार, खेल, सार्वजनिक गतिविधियों और आवाजाही से जुड़े अनेक प्रतिबंधों ने महिलाओं के जीवन के दायरे को बेहद सीमित कर दिया है।

लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों ने एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित किया है। महिलाओं की रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी सीमित होने से परिवारों की आय, देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास पर भी असर पड़ा है।

यह समझना जरूरी है कि ''महिलाओं की शिक्षा केवल महिला अधिकार का प्रश्न नहीं है।'' यह किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक भविष्य का भी प्रश्न है। जिस देश की आधी आबादी को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, वहां विकास की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर होंगी।

अफगानिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की शिकायत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से चिंता व्यक्त कर रहा है लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों की सरकारें तालिबान की नीतियों पर लगातार आपत्ति जताती रही हैं लेकिन दबाव बनाने में कामयाब नहीं रही है।

अगर किसी सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है, रोजगार के अवसर सीमित किए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जाता है और उनके पहनावे तक को दंडनीय बनाया जाता है, तो केवल बयान जारी कर देना पर्याप्त नहीं हो सकता।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मानवीय सहायता और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसे रास्ते तलाशने होंगे, जिनसे आम अफगान नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी दबाव बनाया जा सके।

अफगानिस्तान की स्थिति एक और महत्वपूर्ण बहस को जन्म देती है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के पहनावे को लेकर दो बिल्कुल विपरीत प्रकार के प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। कहीं महिलाओं पर हिजाब या अन्य धार्मिक परिधान पहनने को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो कहीं महिलाओं को धार्मिक या राजनीतिक सत्ता के आदेश पर विशेष पोशाक पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। दोनों परिस्थितियों में मूल प्रश्न एक ही है-''महिला की पसंद का अधिकार।''

यदि कोई महिला अपनी इच्छा से हिजाब पहनती है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि कोई महिला हिजाब नहीं पहनना चाहती तो उसे भी इसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी राज्य को महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा पर मनमाना नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इसलिए महिला अधिकारों की लड़ाई को किसी धर्म, संस्कृति या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन या विरोध तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसका सार्वभौमिक आधार होना चाहिए- ''महिला स्वयं अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है।''

अफगान महिलाओं की समस्या को अक्सर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वास्तविकता यह है कि वे किसी भू-राजनीतिक बहस की वस्तु नहीं हैं। वे नागरिक हैं, जिनके पास शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान और अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका केवल तालिबान की आलोचना करने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे मानवीय सहायता जारी रखने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बचाने, महिला संगठनों और नागरिक समाज को समर्थन देने तथा मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

साथ ही, तालिबान के साथ बातचीत करने वाले देशों को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की कीमत पर सामान्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बहाली स्वीकार्य नहीं हो सकती।

हेरात की कथित घटना की स्वतंत्र पुष्टि और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। तालिबान के इनकार को भी दर्ज किया जाना चाहिए और आरोपों की सत्यता का निर्धारण विश्वसनीय स्रोतों से होना चाहिए लेकिन व्यापक तस्वीर पर संदेह की गुंजाइश कम है, अफगान महिलाओं के अधिकार पिछले वर्षो में गंभीर रूप से सीमित हुए हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ''चिंता व्यक्त करने की राजनीति से आगे बढ़ना होगा।''

महिलाओं के अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं हैं। शिक्षा, सम्मान, रोजगार, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और अपनी व्यक्तिगत पसंद के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता ''मानवीय गरिमा के मूल अधिकार'' हैं।

अफगान महिलाओं को केवल सहानुभूति नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा अंतरराष्ट्रीय समर्थन चाहिए जो उनकी आवाज को मजबूत करे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अवसर दे। क्योंकि महिला की आजादी का अर्थ यह नहीं कि उसे किसी एक विचारधारा के अनुसार जीने की छूट मिले, ''आजादी का वास्तविक अर्थ है-वह अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुन सके।''

# एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सुधारों का अगला चरण

– सुश्री शोभा करंदलाजे
राज्य मंत्री
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
तथा श्रम एवं रोजगार

1 संसद के दोनों सदन में हाल ही में पारित किया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संसोधन विधेयक, 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। एमएसएमई राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षो में, एमएसएमई क्षेत्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज ''उद्यम पंजीकरण पोर्टल'' पर 9 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई हमारी आर्थिकी में 31प्रतिशत तथा निर्यात में 50प्रतिशत योगदान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है। एमएसएमई भारत के विकास के सूत्रधार हैं। हाल के वर्षो में एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो –''उद्यम'' पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या से ही स्पष्ट दिखती है, जो 1 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

2. वर्ष 2020 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण को, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त करके, अधिक व्यापक और समावेशी बनाया गया था। इसके तहत टर्नओवर और निवेश दोनों पर आधारित एक समग्र मानदंड विकसित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निवेश सीमा ढ़ाई गुना बढ़ाकर क्रमशरू ढ़ाई करोड़, पच्चीस करोड़ और एक सौ पच्चीस करोड़ की गई है एवं टर्नओवर को दो गुना बढ़ाकर क्रमश: दस करोड़, सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ किया गया, जिसने इन उद्यमों को पूंजी निवेश बढ़ाने, विकास और तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

3. वित्त की उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम दिख रहे हैं। एमएसएमई को प्रदान किया गया बकाया ऋण, वर्ष 2014 – 15 में 10 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब बढ़कर 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराता है। इसके ज़रिए वर्ष 2000 से 2022 के बीच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी गई क्रेडिट गारंटी 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी, जो पिछले चार वर्षो में अर्थात् 2022 – 23 से 2025 – 26 तक बढ़कर 10 लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, वित्त वर्ष 2014 – 15 से अब तक लगभग 8 लाख 34 हजार सूक्ष्म उद्यमों को 24 हजार 903 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है, जिससे अनुमानित 75 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

4. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सालाना 25% खरीद करना अनिवार्य है( इसमें महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3% और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4% खरीद शामिल है। विगत वर्षो में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय – वर्ष 2020 – 21 में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सार्वजनिक खरीद का मूल्य 40,717 करोड़ रुपये था जो कि वित्तीय – वर्ष 2025 – 26 में बढ़कर 1,15,801 करोड़ रुपये हो गया है, जो सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए लक्षित 25 प्रतिशत की तुलना में 49 प्रतिशत से अधिक है।

इसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 3,984 करोड़ रुपये की खरीद हुई और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों से 9,059 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।

5. एमएसएमई को उनका भुगतान समय पर दिलाने हेतु मंत्रालय ने कई सार्थक प्रयास किए हैं, ट्रेड्स इनमें से एक है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे भारत में एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) संबंधी चुनौतियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरु किया गया था। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म ने एमएसएमई क्षेत्र को मार्च 2026 तक 8,71,000 करोड़ रुपये की इनवॉइस डिसकाउंटिंग के माध्यम से समय पर भुगतान दिलवाया है। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 34,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है।

वहीं, एमएसएमई की इनवॉइस डिसकाउंटिंग की राशि वर्ष 2021 – 22 में 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर, वित्त वर्ष 2025 – 26 में 3,47,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ट्रेड्स पर इनवॉइस डिसकाउंटिंग का बढ़ता चलन, भारत सरकार के एमएसएमई के समयबद्ध भुगतान के प्रति संकल्प को दर्शाता है।

6. इसी दिशा में विलंबित भुगतान और उससे जुड़े विवादों के निपटारे हेतु पूरे देश में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) स्थापित किए गए हैं। संशोधन में राज्यों को एमएसईएफसी की संरचना तय करने के लिए सक्षम बनाने के लिये प्रावधान लाए गए हैं जिससे आवश्यकतानुसार एमएसईएफसी का गठन किया जा सके। संबंधित पक्षों में समझौते के साथ विवाद सामाधान के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। यह संशोधन विधेयक ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को सक्षम एवं सशक्त बनाता है, ताकि संबंधित पक्षों द्वारा अपने विवादों का समयबद्ध और किफायती तरीके से हल सुनिश्चित किया जा सके।

7. एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मंत्रालय की अनेक योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। आज उद्यम पोर्टल पर 39% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं, यानि 3. 38 करोड़ के लगभग एमएसएमई महिला स्वामित्व में हैं और जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, महिलाओं के लिए 90% तक गारंटी कवरेज है और सालाना गारंटी फीस में 10 % तक की छूट प्रदान की जाती है। खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत ट्रेड फेयर में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर 100% सब्सिडी दी जाती है, जबकि दूसरे उद्यमियों के लिए यह 80% है। पीएमईजीपी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति का विकास, मंत्रालय की प्राथमिकता है। आज उद्यम पर 1.24 करोड़ से अधिक एमएसएमई, अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब योजना, एमएसएमई मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और उनके बीच ''उद्यमिता संस्कृति'' को बढ़ावा देना है।

8. मंत्रालय की इन निरंतर पहलों और प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक, 2026 पास किया गया है। इसका उद्देश्य है। एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और नियमों का अनुपालन करने को बढ़ावा देना। इसके मुख्य घटक हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो के नि:शुल्क एवं स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अधिसूचित करने की व्यवस्था करना। टर्नओवर और निवेश आधारित एमएसएमई वर्गीकरण को वैधानिक रूप देना।

ii. एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) से जुड़ी समस्याओं को हल करना। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे एमएसएमई से खरीद के लिए इनवॉइस का निपटान ट्रेड्स के ज़रिए करें। साथ ही, राज्य सरकारों को भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इसी प्रकार के प्रावधान अपनाने हेतु सशक्त किया गया है।

iii. राज्य सरकारों को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की संरचना को युक्तिसंगत बनाकर और अधिक एमएसईएफसी की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करना

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमो के पेमेंट में देरी से जुड़े विवादों के तेज़ी से निपटारे के लिए समय – सीमा तय करना।

v. मध्यस्थता से हुए समझौते या आरबिट्रल अवॉर्ड की वसूली ''भूमि राजस्व के बकाया'' के रूप में वसूलने की व्यवस्था करना।

vi. अगर डिक्री, अवॉर्ड या आदेश को रद्द करने का आवेदन छह महीने से अधिक समय से लंबित है, तो अदालतों को यह आदेश देने का अधिकार देना कि सूक्ष्म और लघु उद्यम सप्लायर्स को अवॉर्ड की गई राशि का कम से कम पचास प्रतिशत भुगतान किया जाए।

vii. कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाना (डिक्रिमिनलाइज़ करना) और दोष सिद्धि – आधारित जुर्माने की जगह अलग – अलग स्तर के दंड लागू करना, जिसमें पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी देना भी शामिल है।

यह संशोधन हितधारकों के साथ व्यापक विचार – विमर्श और संबंधित मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया गया है। समावेशी, टिकाऊ और रोज़गार – प्रधान आर्थिक विकास हासिल करने के लिए एक मज़बूत एमएसएमई सेक्टर ज़रूरी है। ये संशोधन ''विकसित भारत 2047'' के विज़न के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। इस से उद्यमों के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, उनके विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा और वे विकास के ''चैंपियन–'' बन सकेंगे।

# लीची की मिठास से महकेगा द्रंग एचपी – शिवा परियोजना के तहत बबेला में 3.5 हेक्टेयर में रोपे गए लीची के 2,010 पौधे

'एचपी – शिवा' प्रोजेक्ट के तहत विकास खंड द्रंग के बबेला क्लस्टर में पौधरोपण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बागवानी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर वैज्ञानिक तरीके से बागवानी के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में उप – निदेशक बागवानी (मंडी) डॉ. संजय गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शिविर के दौरान विशेषज्ञों ने उपस्थित बागवानों को लीची के पौधे लगाने की बारीकियों से अवगत करवाया। विभागीय टीम ने खेतों में जाकर व्यावहारिक प्रदर्शन दिया, जिसमें पौधरोपण के सही तरीके, गढ्ढे भरने की तकनीक और पौधों की शुरुआती देखभाल पर विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान बबेला क्लस्टर में लीची रोपण अभियान की शुरुआत की गई। पौधरोपण का शुभारंभ गांव के वरिष्ठ नागरिकों और क्लस्टर के लाभार्थियों द्वारा किया गया। इसके तहत 3.5 हेक्टेयर भूमि पर लीची की उन्नत किस्मों के 2,010 पौधे रोपे गए।

इस अवसर पर बागवानी विकास अधिकारी डॉ. कविता शर्मा ने एचपी – शिवा परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि विकास खंड द्रंग में अब तक कुल सात क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं। इनके तहत कुल 95 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अमरूद और जापानी फल (पर्सिमोन) का रोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्गम क्षेत्र बरोट घाटी में विशेष ध्यान देते हुए 76 हेक्टेयर क्षेत्र में पांच क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां जापानी फल की बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में क्लस्टर इंचार्ज पूजा लोहिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अभय चौहान, फील्ड सुपरवाइजर गौरव ठाकुर, फैसिलिटेटर अभिषेक तथा ब्लॉक के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।

इस पौधरोपण एवं प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय किसानों और परियोजना के लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।

# मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री

स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी को 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राजीव गांधी के विचारों और दिखाए मार्ग पर चलने का आहवान किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे।

# हिमाचल में अब तक 400 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने प्रदेश में एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की है। अब तक 400 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी पर करीब 6 से 7 लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि हिमाचल में यह सुविधा 30 हजार से 80 हजार रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 3-टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई गई हैं। सरकार का लक्ष्य अगले छह महीने में एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे की प्रतीक्षा सूची खत्म करना है। अगले चार महीने में सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब भी शुरू की जाएंगी।

हमीरपुर में एलाइड हेल्थ कॉलेज बनाया जा रहा है और इस साल प्रदेश में 320 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाई जा रही हैं। डॉक्टरों के वेतन और नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं। इनमें शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व घाटा अनुदान में हर साल करीब 8 हजार करोड़ रुपये की कमी के बावजूद कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन के भुगतान में देरी नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री 'हिमाचल रत्न' कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 13 प्रतिष्ठित लोगों को हिमाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए।

# नशामुक्त हिमाचल के लिए माता-पिता और समाज की भूमिका जरूरी:शांडिल

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल को नशामुक्त बनाने में सरकार के साथ माता-पिता और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर

रखने के लिए परिवार को उनकी गतिविधियों और जीवनशैली पर ध्यान देना चाहिए।

मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के खिलाफ हितधारकों की एक दिवसीय कार्यशाला में शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। नशा तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनमें संपत्ति जब्त करने, भारी जुर्माने और कठोर सजा का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5,642 मामले दर्ज किए गए हैं और 8,250 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करी से जुड़े मामलों में 63 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।

शांडिल ने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत प्रदेश में करीब 18.50 लाख लोगों को जागरूक किया गया। इनमें 17,304 शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुरुषों के लिए कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में चार नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। महिलाओं के लिए मशोबरा में 'नव-जीवन' महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। सिरमौर के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों का आधुनिक नशामुक्ति केंद्र भी बनाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को समाज से अलग करने के बजाय उसे बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की तरह समझकर उपचार और सही मार्गदर्शन देना चाहिए। उन्होंने माता-पिता से बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली, अच्छी आदतें और सही संस्कार देने की अपील की।

# हिमाचल में स्काउट्स-गाइड्स की संख्या 2 लाख करने का लक्ष्य

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में स्काउटिंग और गाइडिंग का दायरा बढ़ाने पर जोर

दिया है। उन्होंने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स की गतिविधियों से बच्चों और युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और समाज सेवा की भावना विकसित होती है।

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद की बैठक हुई। इसमें संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई और विस्तार को लेकर कई फैसले लिए गए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अभी करीब 40 हजार बच्चे और युवा स्काउट्स एवं गाइड्स से जुड़े हैं। इसे अगले शैक्षणिक सत्र तक बढ़ाकर 2 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्कूलों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।

जिला स्तर पर रोवर और रेंजर की व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए पद बनाने को भी मंजूरी दी गई। कब और बुलबुल वर्ग को भी जरूरत के अनुसार मजबूत किया जाएगा।

बैठक में वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इसमें प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, सामुदायिक सेवा, युवा गतिविधियां और टेस्टिंग कैंप शामिल हैं।

बीएसजीएचपी को राज्य सरकार से पिछले तीन वर्षों में अनुदान भी मिला है। वर्ष 2023-24 में 25 लाख रुपये, 2024-25 में 13.50 लाख रुपये और 2025-26 में 20 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

मंडी के रिवालसर स्थित राज्य प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाओं के विकास पर करीब 2.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्काउटिंग एवं गाइडिंग को मजबूत करने के लिए सरकार आगे भी हरसंभव सहयोग देगी।

# हाईकोर्ट ने रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के 2022 के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 18 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रणधीर शर्मा की जीत को चुनौती दी थी। याचिका में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं, डाक मतपत्रों की गिनती में कथित गड़बड़ी और भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए थे। याचिका के अनुसार रामलाल ठाकुर 171 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे।

याचिका में 2,816 डाक मतपत्र प्राप्त होने, इनमें 341 के अमान्य घोषित किए जाने तथा शेष मतपत्रों की गिनती को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई थीं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और शराब बांटी गई।

हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 के आदेश में याचिकाकर्ता को भ्रष्ट आचरण के आरोपों के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में नया शपथपत्र दाखिल करने का अवसर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय तक कमी दूर नहीं करने पर याचिका खारिज मानी जाएगी।

18 अगस्त 2026 के फैसले में हाईकोर्ट ने पाया कि दाखिल किया गया शपथपत्र निर्धारित फॉर्म-25 के अनुरूप नहीं था और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 83(1) तथा चुनाव नियमों के नियम 94A की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। अदालत ने इसी आधार पर चुनाव याचिका खारिज कर दी।

# 15 अगस्त को प्रदेश के 4,967 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता वितरित

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने 15 अगस्त को प्रदेश के 4,967 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

उन्होंने बोर्ड की 55वीं बैठक की

अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को घर बैठे सुविधाएं मिल सकें।

बैठक में डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप, सेस पोर्टल और डिजिटल लेबर चौक-कम-फैसिलिटेटर सेंटर विकसित करने को मंजूरी दी गई। श्रमिकों के डिजिटल रिकॉर्ड को संभालने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने की भी स्वीकृति दी गई।

निर्माण श्रमिकों के लिए जापानी, अरबी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। यह प्रशिक्षण आरपीएल योजना या सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत दिया जाएगा।

श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए जाएंगे। सरकारी भवनों पर वॉल पेंटिंग और जिला मुख्यालयों पर एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।

बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी लंबित दावों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

# वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी दी

**शिमला/शैल।** राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस-2026 के अवसर पर संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, हिमाचल प्रदेश की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभाग के 89 पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें सामान्य जांच के अलावा आंखों, दांतों, फेफड़ों और ईसीजी की जांच की गई।

आरबीआई के अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन फॉर्ड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचने की जानकारी दी। उन्हें संदिग्ध फोन कॉल और संदेशों से सावधान रहने तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। आयुष चिकित्सकों ने वरिष्ठ नागरिकों को आयुर्वेदिक आहार, योग और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र स्वयं बनाने और SAMPANN ऐप के इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई।

पेंशनभोगियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के साथ स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में भी मददगार हैं।

STARS | Strengthening Teaching-Learning and Results for States

# HIMACHAL PRADESH

PM SHRI | समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

***Shaping Minds. Building Futures.***

## BEST PRACTICES. REAL IMPACT.

Transforming School Education for a Stronger, Smarter and Future-Ready Himachal

QUALITY & COMPETENCY-BASED LEARNING

TEACHER CAPACITY BUILDING

TECHNOLOGY ENABLED GOVERNANCE

IMPROVED LEARNING OUTCOMES & NATIONAL RECOGNITION

## OUR ACHIEVEMENTS. OUR PRIDE.

### PARAKH-NAS 2024 TOP 5 IN INDIA

- 21st → Top 5 nationally
- Higher student competency
- Evidence-based interventions
- Technology-enabled assessment

### PGI 2.0 6TH RANK NATIONALLY

- 21st → 6th nationally
- Strong governance & learning quality
- 11 of 12 districts in Uttam-3
- Improved key indicators

### ASER 2024 LEADING IN FOUNDATIONAL LEARNING

- Among India's leading States
- Gains in reading proficiency
- Improved mathematics outcomes
- Evidence-based reforms

### FULLY LITERATE STATE

- 99.3% literacy
- 5 years ahead of national target
- Driven by ULLAS & community participation

### UNESCO-HP FUTURES PARTNERSHIP

- 21st-century & climate skills
- Stronger teacher development
- Inclusive, sustainable education

### SCHOOL LEADERSHIP TRAINING-IIM SIRMAUR

- ~200 school leaders trained
- Better leadership & governance
- Innovation & mentoring
- Aligned with NEP 2020

### ENGLISH-MEDIUM INSTRUCTION-UP TO GRADE VI

- Expanded to Grade VI
- Bridges learning gaps
- Stronger communication & digital skills
- Teacher training & bilingual resources

### INTERNATIONAL EXPOSURE- TEACHERS

- 350 teachers trained
- Global exposure
- Better pedagogy & digital practices
- Student-centred learning

### SINGAPORE'S PRINCIPALS ACADEMY

- Global partnership
- Stronger teacher capacity
- Leadership & pedagogy training
- School excellence

### DIGITAL TRANSFORMATION OF SCHOOLS

- Smart classrooms & e-content
- MIS portals & data-driven governance
- Efficient, transparent systems
- Better planning & monitoring

### VIDYA SAMIKSHA KENDRA (VSK)

- Real-time school monitoring
- AI-powered analytics
- Data-driven decision-making
- Evidence-based governance

### INTERNATIONAL EDUCATIONAL TOUR- STUDENTS

- Global exposure visits
- Broader horizons
- Global perspective
- Future-ready aspirations

### NSNIS SPORTS EDUCATION PROGRAMME

- 650 teachers, lecturers & coaches
- Advanced sports training
- Sports science & athlete development
- 48 National School Games medals (2025–26)

### STEM EDUCATION INITIATIVE

- AI, Coding, Robotics & ML
- Hands-on & project-based learning
- Innovation & critical thinking
- Sustainability & disaster resilience

### SKILL-BASED & VOCATIONAL EDUCATION

- 1.11 lakh+ students enrolled
- 16 vocational trades
- 1,742 schools
- Industry exposure, internships & employability

www.shailsamachar.com
सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# सुधीर और जनक राज पर विजिलेंस की कारवाई से गरमाई हिमाचल की सियासत

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल गया है। एक ओर धर्मशाला से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज भी हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के दायरे में हैं। दोनों मामलों में भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रही है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार बदले की भावना से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ कारवाई कर रही है।

सुधीर शर्मा से शुक्रवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शिमला मुख्यालय में करीब दो घंटे पूछताछ की गई। उनके साथ विपिन सिंह परमार, सतपाल सिंह सत्ती, बलबीर वर्मा, डॉ. जनक राज, इंद्रदत्त लखनपाल, राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल समेत कई भाजपा विधायक भी विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे।

सुधीर शर्मा का कहना है कि वह जांच से नहीं डरते और विजिलेंस द्वारा मांगे जा रहे बैंक खातों, डीमैट खातों, निवेश, संपत्तियों, वाहनों, ऋण और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। उनका दावा है कि न कोई संपत्ति छिपाई गई है और न कोई वित्तीय लेन-देन। उन्होंने बैजनाथ की पैतृक भूमि के दो हिस्सों की कुल 74.07 लाख रूपये की पंजीकृत बिक्री और बीड़ निवासी अनुराग शर्मा को 14.50 लाख रूपये में हुई एक अन्य संपत्ति बिक्री का भी उल्लेख किया है।

लेकिन सुधीर शर्मा का सवाल जांच से ज्यादा जांच के समय को लेकर है। उनका कहना है कि मामला धर्मशाला से संबंधित है और दस्तावेज भी वहीं उपलब्ध हैं, फिर उन्हें विधानसभा सत्र के बीच शिमला मुख्यालय क्यों बुलाया गया।

यहीं से मामला राजनीतिक रूप से अधिक संवेदनशील हो जाता है। मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान भाजपा सरकार को

आर्थिक स्थिति, रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार तथा कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। ऐसे में विपक्ष के दो विधायकों का अलग-अलग मामलों में विजिलेंस जांच के दायरे में आना भाजपा को सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर भी देता है।

डॉ. जनक राज की विजिलेंस पूछताछ ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ाया है। 20 अगस्त को डॉ. जनक राज से विजिलेंस कार्यालय में करीब चार घंटे पूछताछ हुई। मामला हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है और पूछताछ मुख्य रूप से उस अवधि से संबंधित बताई गई है जब डॉ.जनक राज आईजीएमसी शिमला में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे।

रिपोर्टों के अनुसार, विजिलेंस ने उनके कार्यकाल के दौरान हिमकेयर के तहत हुए भुगतान, आय-व्यय तथा प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों से संबंधित जानकारी मांगी। डॉ. जनक राज ने बताया कि उनके कार्यकाल में हिमकेयर के तहत करीब 95 करोड़ रूपये के बिल पास हुए और उनके कार्यकाल में कोई अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने जांच में की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की।

राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विधानसभा सत्र के ठीक पहले दो भाजपा विधायकों से जुड़ी जांचें चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। इससे भाजपा को यह कहने का आधार मिल गया है कि सरकार विपक्षी नेताओं को जांच में उलझाकर सदन के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है।

सुधीर शर्मा के साथ विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे भाजपा विधायकों की संख्या बताती है कि पार्टी इस कारवाई को व्यक्तिगत मामला मानकर नहीं चल रही। भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेगी।

सुधीर शर्मा और जनक राज के मामले अब केवल जांच एजेंसियों की फाइलों तक सीमित नहीं रहे हैं, वे हिमाचल की सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले दिनों में जांच से निकलने वाले तथ्य ही तय करेंगे कि यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और गहरा करता है।

# 'सूचना एकत्र की जा रही है' के जवाब पर सरकार पर जानकारी रोकने का आरोप

**शिमला/शैल।** मानसून सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के खिलाफ तेवर कड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाएगा,

लेकिन सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने या बदले की भावना से कारवाई करने की कोशिश की तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा।

सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सरकार के अच्छे फैसलों में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री सदन में सही और जिम्मेदारी से बात रखेंगे तो विपक्ष भी उनकी बात सुनेगा, लेकिन लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास हुआ तो विपक्ष सदन के भीतर और बाहर जनता की आवाज बनेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बदले की भावना से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि किसी मामले में आरोप गंभीर हैं तो कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कारवाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का ध्यान विकास कार्यों पर होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय संस्थानों को बंद करने और विपक्ष की आवाज को कमजोर करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में विपक्ष के विधायकों के सवालों के जवाब में बार-बार 'सूचना एकत्र की जा रही है' कहा जाता रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में अधिकारियों के पास जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद मंत्री और मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने से बचते हैं। कुछ विभागाध्यक्षों पर भी उन्होंने जानबूझकर जानकारी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजबूरी में विपक्ष को सूचना का अधिकार कानून के जरिए जानकारी हासिल कर उसे विधानसभा में रखना पड़ रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में पूछे गए सवालों का समय पर जवाब मिलना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अध्यक्ष से मांग की कि विधायकों द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें समय पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में उठाए गए महत्वपूर्ण मामलों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।

मुख्यमंत्री के सदन में व्यवहार को लेकर भी जयराम ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यह सहयोग सरकार के व्यवहार और सदन में उसकी जवाबदेही पर निर्भर करेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों से पीछे नहीं हटेगा। सरकार यदि सकारात्मक रवैया अपनाती है तो विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा, लेकिन लोकतंत्र और जनता की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो विपक्ष उसका मजबूती से जवाब देगा।